

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -54/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00108

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी.

बनाम

काशीराम आत्मज नानूराम भील निवासी हनुवंतखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी
जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 29/10/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम हनुवंतखेड़ा के आराजी खसरा नम्बर 25 रकबा 0.24 हे० भूमि दिनांक 12.06.1981 को भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस अप्रार्थी आवंटी के पोते को बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम हनुवंतखेड़ा तह० रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 25 की रकबा 0.24 हे०, भूमि दिनांक 12.6.1981 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।
4. हमने परोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम हनुवंतखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 25 रकबा 0.24 हे० भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है तथा बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने


जिला कलेक्टर
कोटा

से यह जाहिर हो रहा है कि वास्तव में अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं की जा रही है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम हनुवंतखेड़ा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 25 की रकबा 0.24 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काशत नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 12.06.1981 निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।




(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा